



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 716 / SEIAA/2022

Date: 6/6/22

प्रति,

मेसर्स विस्टा सेल्स प्रा. लि.

पता- गली न.216- बिल्डिंग न. 3बी राहुल मित्तल इन्डस्ट्रीज

स्टेट कुर्ला रोड अर्धेरी मुबई - 400059 (महाराष्ट्र)

विषय :- प्रकरण क्र. 8493/2021 परियोजना प्रस्तावक विस्टा सेल्स प्रा. लि. पता- गली न.216- बिल्डिंग न. 3बी राहुल मित्तल इन्डस्ट्रीज स्टेट कुर्ला रोड अर्धेरी मुबई - 400059 (महाराष्ट्र) द्वारा रेत खदान उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1165 ग्राम बंजारी तहसील विजयराघौगढ़, जिला -कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 726वी SEIAA बैठक दिनांक 25.05.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 569वी बैठक दिनांक 06.05.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

..... सिया के पत्र क्रमांक 201 दिनांक 21/04/22 के द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 08/04/22 की प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें लेख है कि प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/03/22 को नियत थी किंतु खदान प्रबंधन द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 03/03/22 के द्वारा सूचित कि रेत खदान ग्राम बंजारी में खदान संचालन कार्य किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। खदान क्षेत्र में पूरी तरह पानी भरा हुआ है। उक्त खदान से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन नहीं किया जा सकता है। समिति ने चर्चाकर यह अनुशंसा की कि चूंकि परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है कि खदान क्षेत्र में पूरी तरह पानी भरा हुआ है अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय अभिसूचक हेतु विचार नहीं किया जा सकता है तथा प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु सिया को प्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 569वी बैठक दिनांक 06.05.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण को Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)

सदस्य सचिव

क्र..

/SEIAA/2022

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)

प्रभारी अधिकारी